

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाडा (राज.)

// कार्यालय आदेश //

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/32/दिनांक - 28.09.2019 के अनुसार निम्नांकित मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

क्र. स.	नाम कार्मिक श्री / सुश्री / श्रीमती	पद नाम	विषय	कहाँ से	जिला	कहाँ को	जिला
1	वसीम खान	Jr.Astt.	-	राउमावि भर्वाडिया, ब्लॉक बांसवाडा	Banswara	राउमावि कन्धारवाडी ब्लॉक बांसवाडा	Banswara
2	नरसिंह पारमी	Class IV	-	राउमावि लिमथान ब्लॉक बांसवाडा	Banswara	राउमावि बोखट, ब्लॉक तलवाडा	Banswara
3	नाथुलाल मीणा	Class IV	-	राउमावि बोखट, ब्लॉक तलवाडा	Banswara	राउमावि लिमथान ब्लॉक बांसवाडा	Banswara

संबंधित संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करे-

01. राजस्थान स्वच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त करवाया जावे।
02. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पेटों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, मुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्त में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
03. टीएसपी से नॉन टीएसपी जिले में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
04. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो / निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विद्यमान हैं, तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
05. स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जावे।
06. संबंधित कार्यालय/संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अदिलम्ब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

29.9.19

(मावजी खांट)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाडा

क्रमांक: जिशिअ/ मुख्यालय/मा/ बांस/संस्था-1/फा-स्थानान्तरण/2019-20/634 दिनांक 29/09/19
प्रतिलिपि-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
02. श्रीमान संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सभाग उदयपुर।
03. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (स्कूल शिक्षा) बांसवाडा।
04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तलवाडा/बांसवाडा
05. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि/राउमावि _____
06. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती _____
07. व्यक्तिगत पत्रिका श्री/श्रीमती _____

29.9.19

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाडा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर

—:: कार्यालय आदेश ::—


श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/32 दिनांक 20.09.2019 के निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्मिकों के स्थानान्तरण पुरन्ता प्रभाव से नाम के सामने अंकित स्थान पर किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि०
1	नमीषा सिडाना	कनिष्ठ सहायक	राउगावि 14 एस गाझीवाला, करनुपर जिला श्रीगंगानगर	राउगावि संघर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर	

संबंधित संस्था प्रधान इन्हे अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें एवं कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना करना सुनिश्चित करें।


शर्तें—

1. राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त /कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन् ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्त में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
3. स्थानान्तरण कार्मिक प्रोबेशनरी ट्रेनी होने पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण न करवाया जावे।


(राजवीर सिंह गिल) 29/9/19
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय, माध्यमिक
श्रीगंगानगर

क्रमांक:- जिशिअ/मु.मा.शि/गंगा/संस्था-III/स्थानान्तरण/2019/5520 दिनांक 29.09.19
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....
5. कार्मिक.....
6. रक्षित


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय, माध्यमिक
श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, अलवर


कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/बोल-2/2018/204 दिनांक 28.09.2019 के द्वारा प्रदत्त आदेशों की पालना में अलवर जिले में कार्यरत निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानान्तरित स्थान पर किया जाता है। संबंधित संस्थाप्रधान तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना से अवगत करावें :-

क्र. सं.	नाम	पद	कहाँ से		कहाँ को	
			कार्यालय/विद्यालय का नाम	जिला	कार्यालय/विद्यालय का नाम	जिला
1	JAGDISH PRASAD SHARMA	Lab Assistant (III Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RENI, ALWAR	ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARVAINI, RAINI, ALWAR,	ALWAR

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होंगे :-

1. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन, ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियाँ में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
3. प्रोबेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
4. टीएसपी से नॉन टीएसपी जिले में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।



 (राकेश कुमार शर्मा)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय, माध्यमिक, अलवर

क्रमांक :- जिशिअ/मु.मा./अलवर/संस्था-1/फा-स्था./2019/
 प्रतिलिपि :-

85

दिनांक :- 29/9/19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ राउमावि/रामावि।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय, माध्यमिक, अलवर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक डूंगरपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/32 दिनांक 28.09.2019 के तहत प्राप्त निर्देशानुसार निम्नांकित कार्मिको का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय/कार्यालयों में किया जाता है संबंधित कार्यालयध्यक्ष निम्न शर्तों की पालना करते हुए कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करवाया जावे।

- 1 राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिको को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त /कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 2 यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरो से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर,ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण,) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणी में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 प्रोबेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	कहा से	जिला	कहा को	जिला
1	गौतमलाल पाटीदार	कनिष्ठ सहायक	राउमावि शिथल	डूंगरपुर	राउमावि झलाप	डूंगरपुर


(बंशीलाल रोट)


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक डूंगरपुर

क्रमांक:-जिशिअ-मुख्या/माध्य/डूंगर/संस्था-1/स्थाना/2019/ 236

दिनांक 29.09.2019

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक स्कुल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान डूंगरपुर
5. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमलवाडा
6. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि शिथल/झलाप
7. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती -----
8. व्यक्तिगत पंजिका श्री/श्रीमती -----


(बंशीलाल रोट)

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक डूंगरपुर